स्वरूप उन यात्रियों को जिन पर टिकट संवाहकों द्वारा, जुर्माना किया जा रहा है, अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या मंत्रालय के सतर्कता विभाग ने कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ग) क्या उक्त अनधिकृत रेलवे एजेंटों ने रेल मंत्रालय से कोई प्राधिकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा उक्त अनधिकृत एजेंट के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) गुजरात समाज सदन/ दिल्ली के परिसर में, अक्टूबर 90 में सतर्कता विभाग द्वारा आयोजित निवारक जांच के दौरान, सदन के परिसर में एक व्यक्ति अनधिकृत रूप से बकिंग एजेंसी चलाते हुए पाया गया । छापे के दौरान, उसके पास से अलग-अलग व्यक्तियों के नाम के 22 टिकट बरामद हुए ।

(ग) और (घ) रेल यात्री सेवा एजेंटों का प्राधिकरण, विधिवत् प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है, रेल मंत्रालय द्वारा गुजरात समाज सदन को प्राधिकृत नहीं किया गया था/है । निवारक जांच के दौरान छापामार दल ने प्रबंधक/गुजरात समाज सदन से यह वचन लिया था कि उस व्यक्ति को सदन परिसर मे परिचालन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

भूमि अतिक्रमण में रेलवे अधिकारियों की अन्तर्ग्रस्तता

5560. **श्री आस मोहम्मद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विभाग से संबंधित भूमि पर किया गया अतिक्रमण रेलवे अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुआ है ;

(ख) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने लापरवाह और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रेल यात्रियों के लिए मूल सुविधाओं में वृद्धि किया जाना

5561. **श्री आस मोहम्मद :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि रेल यात्रियों के लिए उनकी यात्रा को कुछ और अधिक आरामदेह बनाने हेतु उन्हें उपलब्ध करायी जा रही मूल सुविधाओं की मदों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है ।

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) रेल यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की मदों में कौन-कौन सी सुविधायें शामिल हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफ़र शरीफ़): (क) और (ख) रेल संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुवर्तन में "मूलभूत" और "अतिरिक्त" सुविधाओं की अवधारणा छोड़ दी गई है । पहचान किए गए मार्गों पर सुविधाओं की व्यवस्था करने पर अधिक बल देते हुए योजनाबद्ध आधार पर अ : सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी